



‘अगर केरल में जीतना है तो वेणुगोपाल को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर वहाँ भेजो’

कांग्रेस में यह आवाज जोरों से उठ रही है, पर, सवाल यह है कि यह मांग वेणुगोपाल को गौरवान्वित कर रही है या उनकी खिल्ली उड़ा रही है?

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक जंग का माहौल है, अगर पार्टी को केरल में जीतना है तो के.सी. वेणुगोपाल को केरल भेजो बतौर पीसीसी अध्यक्ष, अन्यथा वाम मोर्चा राज्य में रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आ सकता है!!

क्या यह चुटकी ली जा रही है, क्योंकि पार्टी के कई गुट चाहते हैं कि वेणुगोपाल, एआईसीसी से और कांग्रेस की सत्ता से बाहर हो जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद को पार्टी का निर्विवाद राजा बना लिया है, उन्हें राहुल गांधी के वीडो के साथ और उनका पूरा विश्वास और समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा के.सी. वेणुगोपाल को सौंप दिया है और इससे कांग्रेस के कई नेताओं को भारी नाराजगी है, जो महसूस करते हैं कि वेणुगोपाल अपनी मर्जी से काम करते हैं और पार्टी के हित को ध्यान में नहीं रखते।

- अधिकतर नेतागण वेणुगोपाल को केरल इसलिए भेजना चाहते हैं, जिससे ए.आई.सी.सी. में घुटन कम हो।
- वेणुगोपाल पर राहुल गांधी को इतना “भरोसा” है, कि जब तक वेणुगोपाल की मोहर नहीं लगती ए.आई.सी.सी. में कोई काम नहीं होता।
- अच्छे-अच्छे नेता भी इस कथन की सत्यता से पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं तथा उन्हें वेणुगोपाल के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता है। यहाँ तक कि राहुल के नज़दीकी व विश्वासपात्र अजय माकन भी अब वेणुगोपाल के साथ मिलकर काम करने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं।
- वेणुगोपाल ने हर राज्य में एक अपना मनपसंद प्रभारी नियुक्त कर रखा है और ये प्रभारी वेणुगोपाल के मन के अनुरूप राज्य में कांग्रेस को चलाते हैं।

कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने के.सी. वेणुगोपाल के आगे समर्पण कर दिया है, और वे उनके आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते

हैं कि राहुल गांधी तक पहुँचने का रास्ता के.सी. वेणुगोपाल के माध्यम से ही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के एक वफादार और करीबी साथी अजय

माकन, जो एआईसीसी के कोषाध्यक्ष हैं, को भी किसी निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने से पहले वेणुगोपाल से मिलना पड़ता है। क्योंकि राहुल ने माकन को कह दिया है कि उन्हें वेणुगोपाल से बात करनी चाहिए।

के.सी. वेणुगोपाल और अजय माकन ने इंदिरा भवन से काम करने का निर्णय लिया है, बजाय 24 अकबर रोड के।

क्यों, जबकि कोई कार्यक्रम इंदिरा भवन तक पहुँच ही सकता और किसी नेता से मिल भी नहीं सकता? इसका उत्तर एक पुराने कांग्रेस विश्लेषक से मिला, जो कहते हैं कि माकन व वेणुगोपाल चाहते हैं कि सार्वजनिक संपर्क, जितना संभव हो सके, कम रखा जाए।

और बाकी महासचिव और राज्य प्रभारी का क्या, वे पार्टी कार्यालय क्यों नहीं आते और वहाँ से काम क्यों नहीं करते?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘महबूबा ने भी एक महिला का बुर्का उतरवाया था’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, “लोग शायद इस बात को भूल गये हों कि महबूबा मुफ्ती ने एक वैध मतदाता का बुर्का एक मतदान केन्द्र के अंदर हटवाया था। यह उसी मानसिकता की निरंतरता है।” उमर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब विवाद पर आलोचना करने वाले पहले नेताओं में से थे, ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी महबूबा पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक साम्प्रदायिक पार्टी के सहयोगी के रूप

- जम्मू कश्मीर के मु.मंत्री उमर अब्दुल्लाह ने याद दिलाया कि मतदान केन्द्र में महबूबा मुफ्ती ने वोट डालने आई एक महिला का बुर्का उतरवाया था।

में एक महिला डॉक्टर का बुर्का हटाकर, “अपना असली रंग दिखा रहे हैं।” अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि यह ट्रेंड महबूबा ने ही शुरू किया था। ज्ञातव्य है कि अप्रैल 2004 के चुनावों के दौरान, मुफ्ती ने एक महिला का बुर्का उड़ाया था। जब इसके लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने कहा था कि वह मतदाता की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि बुर्के का इस्तेमाल अक्सर झूठे वोट डालने के लिए किया जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नारी सशस्त्रीकरण का नारा अति प्रचलित है आजकल राजनीति में’

प्रशांत किशोर ने डेढ़ घंटे की मुलाकात में प्रियंका गांधी को यह “नेक” सलाह दी कि उन्हें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस की राजनीति में

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से हाल ही में हुई मुलाकात दरअसल सिर्फ इतना ही दर्शाती है कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक कांग्रेस के साथ संभावना एवं अवसर की एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं।

नई दिल्ली में दोनों नेताओं की डेढ़ घंटे की इस मीटिंग के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई कि किशोर ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद के बदले जन सुराज पार्टी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव रखा है। लेकिन जेएसपी के सूत्रों ने ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीके खुद को इस तरह कम करके नहीं आँकेंगे। हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में कांग्रेस और जन सुराज पार्टी, दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने जिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वह सिर्फ छह पर जीत हासिल कर सकी, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जमानत जबा हो गई। संभवतः दो पराजित दलों

- प्रशांत किशोर का मानना है कि राजनीति में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं. अतः कुछ समय बाद, कालांतर में कांग्रेस की स्थिति में सुधार अवश्य होगा और वे कांग्रेस के लिए अवैतनिक (फ्री) सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं।
- जैसा कि विदित ही है, बिहार चुनाव में दोनों पार्टियों, कांग्रेस व प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, की बहुत खराब हालत हुई थी। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा केवल छः सीटों पर ही जीत पाई तथा जन सुराज पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तथा सभी सीटों पर जमानत नहीं बचा पाई थी।
- प्रशांत किशोर सदा राहुल से ज्यादा प्रियंका के नज़दीक थे तथा 2017 के यू.पी. के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तैयार करते समय, उन्होंने प्रियंका गांधी को मु.मंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की राय दी थी।
- प्रियंका भी काफी इच्छुक थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस जाँइन कर लें।
- अब प्रियंका गांधी से मुलाकात करके प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए एक खिड़की खोल ली है।

का विलय बिहार में या कहीं भी कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘बोतलबंद पानी की अशुद्धता की याचिका शहर केन्द्रित सोच का प्रतीक’

सी जे आई ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए “लगज़री” मुकदमा और अमीरों की चॉंचलेबाजी करार दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को नकारते हुए कहा कि भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी बुनियादी पेयजल तक से वंचित है। कोर्ट ने इस याचिका को “लगज़री मुकदमा” करार देते हुए, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार तक करने से इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच, सारंग वामन यादवड़कर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि देश में बिकने वाला पैकेज्ड पानी विकसित

- याचिकाकर्ता की वकील अनिता शेनॉय ने कहा कि यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और उपभोक्ता को स्वच्छ व शुद्ध बोतलबंद पानी मिलना चाहिए और इसमें डबल्यू एच ओ के मानकों का पालन होना चाहिए
- चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, जब गांधी जी भारत लौटे थे, तो गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों में गए थे, याचिकाकर्ता से कहिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाए और देखे कि लोग पीने का पानी पाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, तब उसे समझ आएगा, असली भारत की तकलीफ क्या है।

देशों के मानकों, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक शामिल है, के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने पैकेज्ड पानी के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने और फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स

अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ एस एस ए आई) के तहत बोतलबंद पानी के नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आदेश देने की मांग की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट में लोक अदालत आज

जयपुर, 18 दिसंबर। राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब लोक अदालत की शुरुआत दोपहर 3.30 बजे से होगी। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इसी तरह

- राजीनामा करने के लिए जयपुर व जोधपुर में तीन-तीन बेंच बनाई गई हैं।

जोधपुर में जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी इसकी शुरुआत करेंगे।

जयपुर पीठ में मुकदमों के आपसी राजीनामे के जरिये निपटारे के लिए तीन बेंच बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता मौजूदा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर, जस्टिस संदीप तनेजा और जस्टिस बिपिन गुप्ता करेंगे। वहीं, इनमें सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एसके गुप्ता, महेंद्र शाह और अजय कुमार बाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीति आयोग के पूर्व कर्ताधर्ता अमिताभ कांत सरकार से इतने रुष्ट क्यों हैं?

अमिताभ कांत की पीड़ा यह है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के नाम पर नये-नये मापदंड लाए जा रहे हैं, एम.एस.एम.ई. सैंक्टर पर, जिससे भारत में निर्मित माल, विश्व की सप्लाई शृखंला का हिस्सा नहीं बन पा रहा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत के तेजी से बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) सिस्टम की अब तक की सबसे तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि जिसे आधिकारिक तौर पर स्टैंडर्ड और सुरक्षा अध्यास के रूप में पेश किया जा रहा है, वह असल में संरक्षणवाद का सीधा हथियार बन गया है, जो प्रतिस्पर्धा, रोजगार और एमएसएमई को नुकसान पहुँचा रहा है।

‘पॉडकास्ट “यो”’ में मोनिका हलान से बातचीत करते हुए कांत ने कहा कि क्यूसीओ का व्यापक और बेतहाशा विस्तार, जो अब 760 से अधिक उत्पादों और क्षेत्रों को कवर करता है, “संरक्षणवाद का सबसे खराब रूप” है।

- क्वालिटी कंट्रोल के यह मापदंड 760 प्रोडक्ट्स व सैंक्टर पर लगाये गए हैं तथा ज्यादा वेदना का विषय यह है कि ये मापदंड “इनपुट” (निर्माण) में काम आने वाले सामान पर लागू किए गये हैं। मापदंडों की पालना से भारतीय सामान महंगा होता जा रहा है तथा अन्य प्रतिस्पर्धी देश अपना सामान भारत की तुलना में सस्ता बेच रहे हैं और भारत अपना निर्यात बढ़ाने का सुअवसर खोता जा रहा है।

खासतौर पर इसलिए, क्योंकि इनमें से कई आदेश अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर नहीं, बल्कि कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और पुर्जों पर लगाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यहीं पर भारत खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

कांत के मुताबिक, इनपुट्स (उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल) पर बाधाएँ बढ़ाकर क्यूसीओ गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं की तरह

काम करते हैं। इससे आयात सीमित होता है और घरेलू निर्माताओं के लिए लागत बढ़ जाती है। कांत ने कहा, इसका सबसे ज्यादा बोझ एमएसएमई पर पड़ता है, जिनके पास न तो इतनी बड़ी क्षमता होती है और न ही सौदेबाजी की ताकत कि वे ऊँची इनपुट कीमतों या जटिल अनुपालन नियमों को आसानी से झेल सकें। नतीजा यह होता है कि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक वैल्यू चेन में कम

प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं, जिससे सरकार द्वारा समर्थित मैनुफैक्चरिंग और निर्यात महत्वाकांक्षाएँ ही कमजोर होती हैं।

कांत ने कहा कि समस्या अब सीमित या लक्षित हस्तक्षेप तक नहीं रही है, बल्कि यह बेकाबू विस्तार का रूप ले चुकी है। बोते एक साल में ही सैकड़ों नए क्यूसीओ जारी किए गए, वह भी अक्सर बिना पर्याप्त परामर्श के। इससे विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट लागत बढ़ी है, मुनाफे के मार्जिन सिमटे हैं और कंपनियाँ वैश्विक उत्पादन नेटवर्क से जुड़ने से हतोत्साहित हुई हैं। कुछ खास उत्पादों के लिए सीमित क्यूसीओ को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन मौजूदा “बेलगाम” फैलाव, उनके अनुसार, कच्चे माल और पुर्जों को बेवजह महंगा बनाकर भारत की विकास कहानी को नुकसान पहुँचा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक के ईडी केस के आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 18 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने ये आदेश

- हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण निचली अदालत में आरोप तय नहीं हो पाए।

आरोपी राजाराम उर्फ इरम की द्वितीय जमानत याचिका खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को अभियोजन साक्ष्य छह माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील के पेश नहीं होने के कारण आरोप तय नहीं हो सका। वहीं, अन्य सह आरोपियों ने भी दस्तावेजों की प्रतियाँ आदि उपलब्ध कराने के लिए कई आवेदन दायर किए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन पर विधिवत निर्णय पारित किया गया। ऐसे में मुकदमे में देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की एसएलपी खारिज करते हुए निचली

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

सत्याग्रह बल प्रयोग के विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। –महात्मा गांधी

महाअभियोग के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरूद्ध न केवल अलोकतांत्रिक है, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है

देश के 56 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें संसद के उन सदस्यों को विद्डो करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरूद्ध महाअभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है। संसद के अध्यक्ष को प्रेषित किया है उसकी प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि यह कार्य संविधान के प्रावधानों की गरिमा उद्देशिका में वर्णित मूल भवना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है।

अपने पत्र में 50 पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिये हैं कि कुछ सांसदों और एडवोकेटस न्यायालय (न्यायाधीशों) को दबाव में लाना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिये कि वे लोग जस्टिस महोदय की राजनीतिक अथवा Ideological विचार धारा से सहमत नहीं हैं। यह सोच न्यायाधीश स्वतंत्रता के विरूद्ध है व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।

यह घटना क्रम उस समय हुआ, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पिटीशनर को पिटीशन पर जो अपने को Right Wing Activist मानता है, जस्टिस स्वामीनाथन ने, सुनवाई के बाद यह निर्देशन राज्य सरकार को दिया कि पवित्र दीपक पहाड़ी शिखर पर प्रज्वलित किया जा सके इसकी व्यवस्था हो ताकि कोई व्यवधान न हो। राज्य के अधिकारियों का कथन था कि दीप मंडप के सामने दीपक जलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। मस्जिद और दीप दोनों पहाड़ी की चोटी पर हैं बीच में रिक्त स्थान है। ऐसा भी है कि कोर्ट के निर्णय है जहां दीप मंडप पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा का जिक्र है। लेखक का इस प्रसंग के कानूनी गुणदोष पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। प्रश्न इतना है कि जब जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है तो फिर क्या मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध इस आदेश को महाअभियोग की कार्यवाही के द्वारा बिना निरस्त किये जस्टिस महाअभियोग की सजा में नौकरी से निकाला जा सकता? 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रकार नौकरी ने निकालने की कार्यवाही करना सर्वथा अवैध, अन्धकृत और विवेकहीन है। नि:सन्देह इस प्रकार की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों को Brow Beat करना ही कहा जावेगा। लोकतंत्र में न्यायाधीश को निर्भीक व स्वतंत्र विचार धारा का होकर संविधान व लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार एक सबल रक्षक के रूप में काम करना होता है। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में विचार रखते हुये कहा है महाअभियोग के प्रतिवेदन में कोई भी संगत आधार प्रतिक्षित नहीं होते, क्योंकि महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिये। लोकतंत्र में न्यायालयों को स्वतंत्र, किसी बाहरी शक्ति के दबाव से दूर ही रहना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही रूला ऑफ लॉ के लिये गम्भीर खतरा है। महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण है यह कार्यवाही तो न्यापालिका की गरिमा को बनाये रखने के हेतु ही की जाना अपेक्षित है। संविधान ने अपनी उद्देशिका में स्पष्ट घोषणा की है, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमों और आत्मार्पित करते हैं।

पूर्व न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये सब ही यशस्वी न्यायाधीश रहे हैं, अतः इन सबसे जब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में उपरोक्त संदर्भ में कोई बात कही है तो उसका महत्व हमें समझाना होगा, यह विषय महाअभियोग लाने का तो नहीं हो सकता है।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी। उसके साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कुछ गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति की थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुये माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य केस में सुनवाई के समय कहा था कि वे टफ आदमी हैं कोई ऐसा नहीं समझे कि न्यायपालिका ऐसी क्रियाओं पर दबाव में आ जायेगी। जस्टिस बागची ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि "जजों द्वारा सवाल पूछने से रोकने का यह एक संगठित प्रयास है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश ने रोहिंन्या घुसपैठियों का रैड कारनेट (लाल कालीन) निष्ठाकर स्वागत करें"।

कई बार टिप्पणी के द्वारा न्यायाधीशगण समस्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाना चाहिये, किन्तु ऐसी टिप्पणी को जज ही पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इन सब परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। इसे सावधानी से रोकना और गम्भीरता से विरोध करना अतिआवश्यक है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा सोशल मिडिया को नियंत्रित करने के समाचार के विषय में कहा कि ऐसे कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सोशल मिडिया पर यह टिप्पणी की कि सोशल मिडिया जब संदर्भ हटाकर ट्रोलिंग की जाने प्रवृति को अपनाता है, उसकी अन्देखी भी नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र की मजबूती इस पर निर्भर है वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं है जैन धर्म के धर्मावलंबियों की एक प्रार्थना है, "रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, या कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग मेरा कभी न पथ डिगने पाये"।

इसका अर्थ है नयायाधीश निष्पक्ष हो विषय का ज्ञाता हो, केस की, जिसका उसे निर्णय करना है, उसके तथ्यों की पकड़ हो, जिसकी IntegrityMebkeâe से परे हो। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था:-

‘धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्त्वियो मा नो धर्मो हतोऽवधीतु।' "Dharma protects those who protect it. Those who destroy Dharma gets destroyed as a consequence thereof."

क्या जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत हो। फिर क्या उनके विरूद्ध महाअभियोग की असाधरण कार्यवाही की जावे?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, शुल योग दिन 3:47 तक, चतुष्पद करण सायं 6:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:51 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक

राजस्थान में बिना महाविद्यालय और अध्यापकों के कृषि उच्च शिक्षा - एक प्रस्तावित मॉडल



वीर बहादुर सिंह

विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर को देखते हुए अब प्रतीत हो रहा है कि स्नातक कृषि शिक्षा में भी कुछ नवीन आयाम खुलने चाहिए अथवा शिक्षा प्रदान करने की कक्षा कक्ष की प्रणाली में कुछ परिवर्तन घटित हों। ऐसा इसलिए कि विषय वस्तु भार अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में यदि अपरिमित संसाधन और विषय सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में होता रहे तो छात्र के लिए उसे आत्मसात करने के लिए समय कम पड़ सकता है, और अध्यापक के लिए कालांश की संख्या में बढ़ोतरी भी जरूरी हो जाती है। हमें याद है आरम्भ में स्नातक केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम ही था, बहुती विषय सामग्री ने सेमेस्टर पद्धति में चार सेमेस्टर, फिर छः और अब आठ सेमेस्टर तक पहुंचा दिया है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों को राहत स्वरूप कुछ परिवर्तन जरूरी है। पाठक इस लेख के लेखक को कोसें नहीं, लेख में वर्णित व्यवस्था लेखक को राजस्थान में वर्षों कार्य के दौरान प्राप्त वृहत अनुभवों पर बलवती होती धारणा पर आधारित है। कृषि उच्च शिक्षा की एक परिवर्तित प्रणाली, जिसमें

महाविद्यालय बनाने और अध्यापकों को नियुक्ति से निजात मिलेगी। लेखक ने इस प्रणाली को बिना अन्य से विमर्च और सम्बाद किये स्वयं ही रूप देने का प्रयास किया है।

इस प्रणाली को उत्पन्न करने और मूर्तरूप देने में प्रदेश सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों पर सदैव आर्थिक दृष्टि से आंखू बहाने का दृश्य मुख्य कारक रहा। कृषि शिक्षा को राजस्थान सरकार फिजूल का उपक्रम मानती रही है और इसीलिये कृषि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार सदैव उदासीन, गैरजम्मेदार और कभी कभी विरोधी भी रही है। मेरी समझ से इसका मुख्य कारण योजना नियोजकों को कृषि के असंख्य पहलुओं पर उनकी सभी स्तरों पर अनिभिज्ञता और नासमझी ही है। प्रदेश के बहुत से अधिकारिओं को अभी तक ज्ञात होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय भी एक विशेष शाखा के तौर पर पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र विज्ञान, शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारिओं के पसोंने छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

का यह कि माध्यमिक स्तर की कृषि शिक्षा मेडिकल और अभियांत्रिक के पात्र बायोलॉजी एवं विज्ञान व गणित की भांति ही समानरूप से महत्वपूर्ण थी।

इतना कुछ भूमिका वर्णन करने के पश्चात् अब मुख्य विषय पर लौटना हूँ। हमें ज्ञात है कि पौराणिक काल में शिक्षा गुरु -शिष्य आधार पर ही दी जाती थी। उस काल में महाविद्यालय अथवा कक्षा कक्ष की कोई आवश्यकता न थी। शिष्य और गुरु बरगद अथवा अन्य किसी ऐसे ही छायादार वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठ कर ज्ञान और संस्कारों का आदान-प्रदान करते थे। अधिक समय नहीं गुजरा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ इसी भाँती शिक्षा पाई थी। वर्तमान की शिक्षा के संसाधनों को देखते हुए कल्पना की नहीं की जा सकती कि कालान्तर में पढ़ाई पेड़ या घासफूस की झोंपड़ पट्टी में होती थी। यह सही है कि विज्ञान और संसाधनों में उन्नति होने से शिक्षण संस्थाओं का रूप भी बदला है। फलस्वरूप आज की शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारिओं के पसोंने छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

ये है जब सरकार ने नियुक्ति प्रणाली को शुरू ही नहीं क्या तो फिर गति किसको और फिर उनका निर्देश किसको है जबकि वे खुद ही सर्वसर्वा हैं। नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के ही पास है। जनता को मूर्ख बनाने और एक सफूंगा छोड़ने के अलावा ऐसा निर्देश कोई मायने नहीं रखता। पाठक इस बात पर चिंतन करें कि कक्षाओं में पढ़ाई कैसे हो रही है जब उचित अध्यापक ही नहीं हैं और पढ़ाई की निगरानी के लिए महाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा अधिष्ठाता भी महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय का नहीं है। न, पहेली, क्योंकि बिना उचित विषय विशेषज्ञ के कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? परीक्षा भी हो रही है और छात्र उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, है न आश्चर्य?

इसका कारण, कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स नेट पर उपलब्ध करा रखे हैं। छात्र उन्हें ही अपने स्मार्ट फ़ोन में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सैद्धांतिक पढ़ने के लिए कक्षा और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार श्योरी क्लासेज की गुल्थी तो सुलझती प्रतीत लग रही है फिर भी इन नोट्स में वर्णित विषय सामग्री को और अधिक ग्राह्य तथा विकसित किया जा सकता है। अब दूसरी यह कि प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होता है? कृषि में ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रैक्टिकल खेतों, फार्म, नदियों, तालाबों, बनों, बाधों, और फसलें उगे हुए किसानों के खेतों पर कराये जा सकते हैं। अभी तो करोड़ों रुपये के महंगे प्रयोशाला उपकरण वर्षों से भूल चाट रहे हैं और संभवतः अनेक जो खाखुर बेकार भी हो चुके हों? खोजबन करने पर मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल तो विषय का टीचर नहीं

होते हुए कराये ही नहीं जा रहे हैं। प्रयोशाला सहायक ही नहीं है, कराये का टीचर हो लैब में जाकर कतिपय उपकरण दिखा कुछ बता देता है अधिक बताने के लिए उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसे तो कालांश किसी प्रकार पूरा करना है। वह हो जाता है आखिर में उसका पारश्रमिक बना कर अदा कर दिया जाता है। लेखक चौंकि इस विषय पर अधिक गंभीर था तो अनेक व्यक्तियों से पूछ कर वांछित जानकारी जुटाना संभव हो सका। प्रदेश सरकार को कृषि अनुसन्धान परिषद् को वाले किसी भी चाहिए कि छात्रों को प्रत्येक विषय के विस्तृत विवरण नेट पर उपलब्ध अतः कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जरूरत नहीं। भारी वेतन पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी।

अब केवल प्रैक्टिकल करने या कराने की बात शेष रहती है। मेरे पास विकल्प है लेकिन उसके लिए विचार-विमर्श सरकार के स्तर पर भी जरूरी है। सरकार के प्रशासन वर्ग को मैं सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और विवेकशील मानता हूँ इसलिए इस विषय पर आगे मंथन वहां से भी अपेक्षित है। यदि यह प्रणाली कारगर हो गई तो प्रदेश सरकार के लिए तो वरदान साबित होगी और छात्र का समय बचेगा। रिक्त पदों और उन्हें भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से धन की अपार बचत होगी। सरकार की आर्थिक शक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। जय कृषि जय किसान जय भारत।

–प्रो.वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता डी व् खेड़ा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. विद्यालय, उदयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा बजट प्रस्ताव 2026-27



अशोक कुमार

राजस्थान के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश अनिवार्य है। बजट प्रस्तावों को केवल व्यय के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजट आवंटन राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तरीय प्रणाली में बदल सकता है।

राजस्थान की उच्च शिक्षा को संवराने में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने हेतु प्रदेश के ये उच्च शिक्षण संस्थान आधारस्तंभ हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में प

दस करोड़ की फिरौती मांगने वाले चार बदमाश गिरफ्तार, प्रॉपर्टी कारोबारी को छुड़ाया

गत 12 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था

जयपुर/कोटपूतली, (निसं)। कोटपूतली पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध अब तक की सबसे प्रभावी कार्रवाईयों में से एक को अंजाम दिया है। पुलिस ने न केवल दस करोड़ रुपये की फिरौती के लिए अपहृत किए गए प्रॉपर्टी कारोबारी को सुरक्षित मुक्त कराया, बल्कि सनसनीखेज हनीट्रैप की साजिश रचने वाले चार इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी कोटपूतली बहरीड़ देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि घटना गत 12 दिसंबर की सुबह की है। आदर्श नगर निवासी 65 वर्षीय प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय जब डाबला रोड में स्थित शिव गिरफ्तार की कार लिया। बदमाश उन्हें हथियार की नोक पर सुनसान रास्तों से होते हुए सुंदरपुरा के पास एक खंडहर (तिबारा) में ले गए। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।



कोटपूतली पुलिस ने अपहृत प्रॉपर्टी कारोबारी को मुक्त करा चार बदमाशों को गिरफ्तार किया।

बदमाशों ने कारोबारी को फंसाने के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। इन्होंने एक महिला साथी को पहले से ही उस खंडहर में बुला रखा था। वहां कारोबारी के साथ मारपीट की गई, हवाई फायर कर उन्हें डराया गया और फिर जबरन महिला के साथ उनके अश्लील वीडियो बना लिए गए। इन वीडियो को वायरल करने की धमकी

- बदमाशों ने कारोबारी को फंसाने के लिए जबरन महिला के साथ अश्लील वीडियो बना लिए थे
- वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी और 10 दिन का समय दिया था

देकर बदमाशों ने 10 करोड़ रुपये की मोटी फिरौती मांगी और 10 दिन का समय दिया।

जैसे ही पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत विशेष टीमों का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली और बुलाधिकारी राजेन्द्र कुमार भारुडक के सुपरविजन में पुलिस ने पूरे जिले की घेराबंदी कर दी। पुलिस की मौजूदगी और तकनीकी सर्विलांस के बढ़ते दबाव को देख आरोपी घबरा गए। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने कारोबारी को बोपिया स्टैंड के पास छोड़ दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिरों और तकनीकी

सहायता से आरोपियों का पीछा जारी रखा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने विकास उर्फ विक्का गुर्जर (25) निवासी कोटपूतली, संदीप उर्फ शोला राम गुर्जर (25) निवासी कोटपूतली, कृष्ण गुर्जर (23) निवासी प्राणपुरा और शेर सिंह राजपूत (23) निवासी सरण्ड को अलग-अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। इन चारों आरोपियों पर पुलिस ने पहले से ही 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह के अन्य नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसबी) की चूरू टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए पटवार मण्डल झॉसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के राजस्व पटवारी चरण सिंह को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवारी से उसके, उसकी बहनोई द्वारा अपनी कृषि भूमि को भाई व पिताजी के नाम हक त्याग करने पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में मांगी गई थी। (एसबी) पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसबी की चूरू टीम को परिवारी ने शिकायत दी कि उसके स्वयं, उसके भाई व पिता के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में झॉसल पटवारी चरण सिंह रिश्वत की मांग कर रहा है। जिस पर पटवारी चूरू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करके पटवारी चरण सिंह को चार हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी

भीलवाड़ा, (निसं)। आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग करने का मामला सामने आया है। हेरान करने वाली बात यह है कि आरोपी सीडीपीईओ अधिकारी ने 20 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा लिए, लेकिन जब पीड़िता की जगह किसी और का बचन होने पर रिश्वतखोरी का पूरा मामला सामने आ गया है। इसमें पीड़िता ने महिला एवं बाल विकास विभाग के मुख्यालय में सबूत भी सौंप दिए हैं। रिश्वतखोरी सीडीपीईओ के खिलाफ कमेटी का गठन भी उपनिदेशक ने कर दिया है। यह मामला जहाजपुर से सामने आया है।

पीड़िता प्रमिला कुमारी मीणा ने बताया कि ग्राम चतुर्भुजपुरा व बेई में नई आंगनबाड़ी स्वीकृत होने पर सहायिका और कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति निकली थी। इसके लिए उसने आवेदन किया था। वह बीए, बीएड, एमए कर चुकी है। सीडीपीईओ कुशाल सिंह राणावत ने उससे 50 हजार रुपए की मांग की। कुशाल सिंह ने एक फोन-पे नंबर दिया जिस पर प्रमिला के भाई ने 20 हजार रुपए ट्रांसफर किए। हाल ही में उन्हें पता लगा कि कुशाल सिंह ने

बीकानेर, (निसं)। श्रीद्वारगढ़ तहसील के मोमासर गांव में सोलर प्लांट लगाने के लिए एक खेत में खेजड़ी के 30 पेड़ काट डाले गए। इनमें से मौके पर 16 पेड़ ही कटे हुए मिले। शेष 14 पेड़ ट्रैक्टरों और पिकअप गाड़ियों में लाद कर लोग फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार मोमासर गांव में प्रिंजल रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी कंपनी ने करीब 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 150 बीघा जमीन किसानों से लीज पर ली है। इसमें खसरा नंबर 2643/1298 रविंद्र कुमार का है, जहां रात में खेजड़ी के पेड़ों पर आरी चलाई गई। एक ही खेत में 30 पेड़ काटने की खबर है। आरा मशौंन चलने की आवाज पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पेड़ काटने

- मौके पर 16 पेड़ ही कटे हुए मिले, शेष 14 पेड़ ट्रैक्टरों और पिकअप गाड़ियों में लाद कर लोग फरार हो गए
- सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने की एक महीने में यह तीसरी घटना है

वाले लोग भाग गए।

पर्यावरण प्रेमी बीरबलराम पूनिया ने बताया कि मौके पर 16 पेड़ कटे हुए पड़े थे, जबकि 14 पेड़ों के टूट मिले हैं। यह पेड़ आरोपी गाड़ियों में भरकर ले गए। पेड़ काटने की सूचना मिलने पर जीव रक्षा सभा के अध्यक्ष मोखराम बिशोई ने रात को करीब 9.30 बजे कलैक्टर कंट्रोल रूम पर दी, लेकिन वन विभाग की टीम ही मौके पर पहुंची। राजस्व विभाग से गिरदावर और पटवारी दोपहर बाद घटना स्थल

पर गए। फर्द रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंप दी। पटवारी जयप्रकाश मीणा ने बताया कि खेत मालिक को पेड़ नहीं काटने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि एक सोलर कंपनी ने यहां करीब 150 बीघा जमीन लीज पर ली है, जिसकी कार्यवाही चल रही है।

सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने की एक महीने में यह तीसरी घटना है। पिछले महीने 20 नवंबर को करणीसर भाटियान में

उदयपुर में आबादी वाले इलाके में लेपर्ड घुसा

- वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को किया ट्रैकुलाइज

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में गुरुवार सुबह आबादी वाले इलाके में लेपर्ड घुसने से अफरातफरी मच गई। भूपालपुर क्षेत्र की कृष्णपुरा कॉलोनी में लेपर्ड कूदकर एक घर में गया, फिर छलांग लगाकर बाहर आ गया और सामने वाले घर में चला गया। लेपर्ड ने तीन बार अपनी लोकेशन बदली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैकुलाइज कर सज्जनगढ़ अभयारण्य ले गई। लेपर्ड के मूवमेंट की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्वे ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 5 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक करीब साढ़े आठ घंटे कॉलोनीवासी दहशत के साप में रहे। कृष्णपुरा निवासी आशा कंवर ने बताया

कि सुबह करीब 10.30 बजे वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थीं तभी लेपर्ड अचानक छलांग लगाकर सामने आ गया। वह कुछ ही फीट की दूरी पर था। डर के मारे वह तुरंत कमरे में घुस गई, जिसके बाद लेपर्ड दीवार फांदकर सामने वाले घर में चला गया। फांदकर में रहने वाले किराएदार भूपेंद्र ने बताया कि पास में रहने वाली महिला से लेपर्ड की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस और वन विभाग की खबर दी गई थी। शूटर दिग्विजय सिंह ने बताया कि

लेपर्ड का मूवमेंट घर में आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग की टीम पटाखे लाई थी । ताकि लेपर्ड घर के हॉल से थोड़ा आगे आ जाए तभी उसे ट्रैकुलाइज किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन किटकल ही होते हैं। लेपर्ड को चंद्रिका राठीड के मकान से दोपहर करीब डेढ़ बजे ट्रैकुलाइज किया गया। वह खुद बांसवाड़ा में रहती है। मकान में किराएदार रहते हैं। किराएदार भूपेंद्र ने बताया कि पास में रहने वाली आंटी से लेपर्ड आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई थी। लेपर्ड को 15 मिमिट इंतजार के बाद वन विभाग की टीम पकड़कर बाहर लेकर आई। इसके बाद पिंजरे में कैद कर सज्जनगढ़ रवाना हो गई।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दूसरा घायल

अजमेर, (निसं)। माखपुरा आईटीआई के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बड़गांव निवासी 18 वर्षीय जय जांजिड़ को मृत घोषित कर दिया। वहीं चंदबरदाई नगर निवासी 18 वर्षीय नीव शर्मा का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है।

पूर्व सरपंच धनरथ्याम जांगिड़ने बताया कि मृतक जय जांगिड़ अपने दोस्त के घर चंद्रदेव निवासी शर्मा के पास

गया हुआ था। दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने मृतक के परिजन को शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जो बच बचे हैं। पुलिस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल में जुटी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगलने और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी

जुटाने की कवायद की जा रही है। घायल नीव शर्मा के पिता मदन मोहन शर्मा ने बताया कि वह रोडवेज में ड्राइवर है। 31 दिसंबर को उनका रिटायरमेंट होने वाला है। इसे लेकर कार्यक्रम भी होने वाला था, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। वह कार्ड का वितरण कर रहे थे। तभी रात 12 बजे पुलिस की ओर से उन्हें एकसीडेंट की सूचना दी गई। बेटा उसके दोस्त जय को छोड़ने घर जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ है। मदन मोहन शर्मा ने बताया कि पूर्व में एक साल पहले उनके बड़े बेटे की बीमारी के चलते मौत हो गई थी।

प्रवासी पक्षी तिलोर (मैक्वीन बस्टर्ड) की करंट से मौत

- अत्यंत संवेदनशील प्रजाति का तिलोर पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है
- मृत पक्षी के पैर पर अबू धाबी का टैग लगा था

पक्षी विदेश से प्रवास कर जैसलमेर क्षेत्र में पहुंचा था। घटना की सूचना मिलते ही धर्मेन्द्र पूनिया सहित अन्य वन्यजीव प्रेमी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वन्यजीव प्रेमियों ने मामले की

सूचना छायाण वन विभाग को दी, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि तिलोर पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है और इसे अत्यंत संवेदनशील प्रजाति माना जाता है।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DISTT DN KOTA
क्रमांक-1433
Notice Inviting Bid
(NIT N.o. 26/2025-26)
Bids for 5 no work at Kota are Invited from interested bidders upto 06.00 PM of 29.12.2025 (Monday). Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rj.nic.in>) of the Rajasthan State. The approximate value of the procurement is Rs. 181.10 Lacs. UBN No.- 1. PWD2526WSOB18700, 2. PWD2526WSOB18701, 3. PWD2526WSOB18702, 4. PWD2526WSOB18703, 5. PWD2526WSOB18704
(अशोक कुमार महावर) अधिशाषी अभियन्ता,
DIPRC/18495/2024 सा.नि.वि. जिला खण्ड कोटा, मो.नं. 98291-28359

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांक:विाएन सं 13/Exam/Protection Officer/RPS/CEP-1/2025-26 दिनांक 18.12.2025
आयोग द्वारा महिला एवं वन विभाग विभाग के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता (एजेंट वन अधिकारिता) सेवा विभाग, 2017 के अनुसार संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) के कुल 12 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदों उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उक्त विस्तृत विवरण का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अंतिम व अन्य विवरण निम्नानुसार है :-
आयु सीमा दिनांक 01.01.2027 को युवकान 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदन अंतिम दिनांक 24.12.2025 से दिनांक 22.01.2026 तक 12-00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्यासराय सूचित कर दिया जाएगा।
अन्य विन्दु व सूचना- परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उक्त विस्तृत विवरण एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर करें सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के चार्ज निर्दिष्ट/सूचना/संरक्षण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में बिना सत्यात वजा पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 0145-2632012 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सम्पर्क कर व्यवहार संबंधित, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
DIPRC/18798/2024 (रामनिवास मेहता) सचिव

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड
सेल कम डाटा सेंटर, कृषि परिसर (आन्ता) खोजागेट, बून्दी
Email ID- SEWDCS.BUNDI@RAJASTHAN.GOV.IN
ई-निविदा सूचना संख्या 18/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से एम्प्लोयेड 2.0 द्वितीय चरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 / मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान योजना 2.0 चरण 2 अन्तर्गत विभागीय मद / राज्य मद में अन्तर्गत राजस्थान आगमन व पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्राधान्य अनुसार निविदा की जाती है। जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समक्षक हो, निर्धारित प्रत्येक में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। वक्को के विस्तृत विवरण <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>, वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
SPPP-NIB NO. SPPP-BID NO/JUBN No.
WSC2526A1151 WSC2526WSOB02039
WSC2526WSOB02040
DIPRC/18730/2024 (जसराम मातोपिया)
अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिसर, बून्दी

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति देवागढ़
ई-निविदा सूचना (8-14/2025-26) दिनांक
(NIB Code: WSC2526A1148)
क्रमांक : राजस्थान राज्यपाल महोदय की ओर से एम्प्लोयेड 2.0 द्वितीय चरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान योजना 2.0 चरण 2 अन्तर्गत विभागीय मद / राज्य मद में अन्तर्गत राजस्थान आगमन व पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्राधान्य अनुसार निविदा की जाती है। जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समक्षक हो, निर्धारित प्रत्येक में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। वक्को के विस्तृत विवरण <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://eproc.rajasthan.gov.in>, वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
SPPP-NIB NO. SPPP-BID NO/JUBN No.
WSC2526A1151 WSC2526WSOB02039
WSC2526WSOB02040
DIPRC/18730/2024 (जसराम मातोपिया)
अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिसर, बून्दी

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक — स्टोर / 2025 / 19425702 ऑक्शन दिनांक — 17.12.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय शास्त्री चौपाटी की दुकान संख्या 01 से 09 माला चौपाटी परिया किराये पर दिया जाना है। जो कि निविदा लिखित/उपयुक्त सक्षम श्रेणी की फर्म ऑक्शन हेतु आमंत्रित की जाती है। उक्त ऑक्शन की पूर्ण जानकारी व शर्त प्राधिकरण कार्यालय में देखी जा सकती है।
क्र.सं. चौपाटी का नाम न्यूनतम प्रारम्भिक बोली राशि (प्रति माह) अमानत राशि
1 विश्वविद्यालय शास्त्री पार्क चौपाटी 8000.00% 15000.00
लोहागढ़ घना चौपाटी विश्वविद्यालय शास्त्री पार्क भरतपुर व्यावसायिक दुकानें पंच ओपन स्पेस अथवा रजिस्ट्रेशन / अमानत राशि / दरसावेज, अलाउड करने की कार्यवाही दिनांक 18.12.2025 चयन ऑनलाइन से दिनांक 24.12.2025 रात 06:00 बजे तक एवं ऑफलाइन नीलामी दिनांक 26.12.2025 प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय सभागार में आयोजित की जावेगी।
राज.सं.बाद / सी / 25 / 16036 सचिव

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राजो)
Email- nrp_nid@yahoo.in Phone:- 02953-233526
क्रमांक / न.पा.नाथ / राजसम / 2025 / 15650 दिनांक: 17.12.2025
ऑनलाइन नीलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचनाई प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा पालिका क्षेत्र 120 फिट रोज के समीप स्थित प्रेस ऑफ म्यूजियम में नवनिर्मित "टेन्ट ऑफ डेस" भवन को (3+2) 05 वर्षीय किराया पद्धति तर्ज पर दिये जाने हेतु भाव व्यक्त ऑन लाईन नीलामी (ई-ऑक्शन) बोली आमंत्रित की जाती है। उक्त सूचना अनुसार कोई इच्छुक व्यक्ति / फर्म / संस्था निम्न सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक को पालिका की वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in/>, <https://sso.rajasthan.gov.in/> पर ऑन-लाईन नीलामी बोली भेज सकते हैं।
अमानत राशि जमा कराने / नीलामी बोली प्रारंभ — 18.12.2025
की दिनांक
अमानत राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक — 29.12.2025 दोपहर 05:00 बजे तक
नीलामी बोली की अंतिम दिनांक — 30.12.2025 दोपहर 03:00 बजे तक
Raj.Samwadi/C/25/15998 प्रशासक आयुक्त

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
दूरभाष - 0145-2429953, फैक्स- 0145-2433813, Email - ajmermc@gmail.com, ajmermc@rajasthan.gov.in
Website - www.tsg.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer, ajmermc.org
No.- MEW/2025-26/1823 Dated :- 17.12.2025
ई-निविदा सूचना 02/2025-26
Open BIDS for ENB No.02/2025-26 No. 1822 dated 11-12-2025 Procurement for Remediation of remaining/additional legacy waste and recovery of Land at mahakpura Trenching Ground under SBM-U-2.00 and budget Ghosana 2024-25 (01 online works) of Subject matter are invited from interested bidders for online tender submit upto 02.01.2026 upto 6:00 PM and Online tender Open at 05.01.2026 at 11:00 A.M. Other particulars or details of NIB of the bid may be visit at the procurement portal <http://sppp.rajasthan.gov.in/> and <http://eproc.rajasthan.gov.in/> of the state.NIB code and UBN code as per given below
NIB Code UBN NO.
ANN2526A0177 ANN2526WSOB00232
अधिाक्षण अभियन्ता
नगर निगम अजमेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर
स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल बैर, बीकानेर
फोन 0151-2201142, email-eemhbikaner@gmail.com
क्रमांक-EE/M&H/BKN/2025-26/2731 दिनांक- 11/12/25
ई- टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या:- 53/2025-26
निम्नसाक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में कुल रु. 155.94 के 03 उप स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य हेतु निविदा में अतिरिक्त अनुसूच श्रेणी के संवेदकों के समक्षक उपर्युक्त सचिव श्रेणी में सार्वाजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संस्था / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे/एमईएस इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के कि राजस्थान सरकार के उपर्युक्त सचिव श्रेणी के संवेदकों के समक्षक हो, से निर्धारित प्रत्येक में ई-प्रोक्वेस्ट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अत्यवसरी निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPRC की वेबसाइट <http://www.dipronline.org> <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागिया वेब साइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।
UBN- 1.NRH2526WSOB01911 (शिशु राम जाटवा)
2.NRH2526WSOB01912 अधिशाषी अभियन्ता
3.NRH2526WSOB01913 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
DIPRC/18510/2024 बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर टाईगर रिजर्व करौली
Phone No. 07464-297007
इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा सूचना एवं खुली-निविदा सूचना द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है। अतः इच्छुक बोलीदाता पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.e-proc.rajasthan.gov.in देख कर ऑनलाइन निविदाओं को डाउनलोड कर निविदाओं में भाग ले सकते हैं।
क्र. सं. कार्य का विवरण UBN No. लागत (लाखों में) जारी दिनांक जमा करने की दिनांक खोलने की दिनांक
1. राजकीय विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु Class Room Table (Dual Desk) With Attached Chair क्रय हेतु FOR2526WSOB03730 24.00 10.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
2. Construction of Community Hall At Tikhuai Range Nainiyaki FOR2526WSOB03732 6.00 10.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
3. रैज कैलादेवी में एंग्लेट वनरक्षक चौकी मरम्मत कार्य (वाहन एवं द्वितीय) हेतु FOR2526WSOB03776 8.00 11.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
4. रैज कैलादेवी में वनरक्षक चौकी दयारामपुरा मरम्मत कार्य हेतु FOR2526WSOB03783 8.00 11.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
5. रैज कैलादेवी में वनरक्षक चौकी नरौली मरम्मत कार्य हेतु FOR2526WSOB03785 8.00 11.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
6. रैज वन्यजीव मण्डल में खान की चौकी मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03788 6.32 11.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
7. रैज चम्पल मण्डलपाल अधीन नाका राजाजट में मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03790 6.26 11.12.2025 22.12.2025 23.12.2025
8. रैज कैलादेवी वनरक्षक चौकी राहिर मरम्मत कार्य हेतु FOR2526WSOB03760 2.00 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
9. वनपाल एवं वनरक्षक चौकी महाराजपुरा मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03761 4.99 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
10. वनपाल नाका आशाकी मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य FOR2526WSOB03762 4.24 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
11. वनपाल नाका/वनरक्षक चौकी करणपुरा मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03763 4.99 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
12. नाका डोंगरा पठार में मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03764 4.99 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
13. घटेश्वर चौकी मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य हेतु FOR2526WSOB03769 2.00 11.12.2025 19.12.2025 19.12.2025
DIPRC/18510/2025 (वीरपू कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय), रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, करौली

जन्म अवध गैस सिलेंडर।

सिलेंडर जन्म किए गए। साथ ही अवध गैस सिलेंडर में प्रयुक्त सामग्री 5 रेगुलेटर, 2 रबर पाइप, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 भट्ठी, 2 रिफिलिंग बॉम्बू तथा सांठों गैस एंजनी के बिना वाजचर भी जन्म किए गए। इस प्रकरण में 1 व्यक्ति को मौके पकड़ गया। दोनों कारवाइयों के दौरान कुल 546 बरेल्टे एवं कंशियरल गैस सिलेंडर, 1 पिकअप वाहन, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 रिफिलिंग बॉम्बू, 7 रेगुलेटर, 2 भट्ठी एवं 4 रबर पाइप जन्म किए गए।

रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

जयपुर, 18 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारागत 2 वर्षों में लिए गए निर्णयों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली तथा माँग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने के लिए स्थाई कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों के लिये पर्याप्त और निर्राध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति

में आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की फील्ड विजिट में वृद्धि के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन बनाने की स्थायी कार्ययोजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने ऊर्जा विभाग को प्रदेश में बैटरी स्टोरेज के साथ ही, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना” के संचालन में प्रगति लाने के

लिए भी निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग की ओर से प्रजेेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जानकारी दी गई। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं ऊर्जा विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

‘इंडिगो का बुरा समय बीत चुका है’

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्क्स ने गुरुवार को कहा कि बुरा समय बीत चुका है और 19 साल पुरानी विमान सेवा कंपनी को सिर्फ संकट के “तीन दिन” के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए।

एल्क्स ने कर्मचारियों के नाम जारी एक वीडियो संदेश में, कठिन समय में साथ देने के लिए कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “बुरा समय अब पीछे छूट चुका है।” कंपनी आज 2,200 उड़ानों का परिचालन कर रही है। यह टिमवर्क का नतीजा है।”

‘नारी सशस्त्रीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सकात्मक अस्तर या गुंजाइश पैदा करने की स्थिति में नहीं होता। पीके यह बात समझते ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था?

राहुल गांधी की तुलना में पीके का तात्कालिक प्रियंका के साथ बेहतर रहा है। जब उन्हें 2०17 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को चुनावी रणनीति सभालने को कहा गया था, तब पीके की पहली पसंद प्रियंका को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। वर्ष 2०22 में भी, जब पीके ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रस्तुतियाँ दी थीं, उस समय, खबरों के मुताबिक, प्रियंका इस पक्ष में ज्यादा थीं कि उनसे पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया जाए।

पीके अपने करियर को इस तरह परिभाषित करते हैं—दस साल वर्ल्ड बैंक में, दस साल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और अब दस

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संसद में विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक की प्रति फाड़ने पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आचरण की आलोचना करते हुए, इसे लोकतंत्र को कलंकित करने वाला बताया।

चौहान ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में संबाददाता सम्मेलन में कहा कि आज लोकसभा में

- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने जी राम जी बिल पर बहस का जवाब देते हुए विपक्षी दलों की आलोचना की**

विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के आचरण से संसदीय मर्यादाएं तार-तार हुई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने कृत्य से

लोकतंत्र को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदला है। चौहान ने कहा, “आप जानते हैं कि विकसित भारत: रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) विधेयक पर चर्चा थी। संसद में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, हमने पूरी गंभीरता से माननीय सांसदों की बातें सुनीं, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र की प्राण है। लेकिन विपक्ष द्वारा जैसे अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़कर उछाले गए, तो क्या ये बापू का अपमान नहीं है।

‘महबूबा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नीतीश कुमार ने इस सचाह को शुरूआत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का बुकी खींच कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। वह महिला डॉक्टर अपनी नियुक्ति पत्र लेने आई थीं। अब्दुल्ला ने कहा, “आगर (बिहार) के मुख्यमंत्री को उसे (मुस्लिम महिला) आदेश सौंपना नहीं चाहते थे, तो वे उसे अलग रख सकते थे। लेकिन, उसे इस तरह से अपमानित करना पूरी तरह गलत है।”

सरिस्का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रेंजर शंकर सिंह ने बताया, आग करीब 1०0 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैल गई थी, लेकिन आग लगने का कारण पूरी तरह सामने नहीं आया है। एक युवक जंगल में मिला है, जिसने अलाव तापने की बात कही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आता है।

‘ अगर केरल में जीतना है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इसका उत्तर है, क्या काम? असल में उनके पास या तो बहुत कम काम है या कोई काम ही नहीं है। अधिकांश राज्य के फैसले के.सी. वेणुगोपाल द्वारा ही लिए जाते हैं।

और बिना उनके “ओके” के, वे कोई निर्णय नहीं ले सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने, पंजाब के एआईसीसी महासचिव हैं, वेणुगोपाल की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेते।

नेताओं का कहना है कि पंजाब एक समृद्ध राज्य है, जिसमें बहुत पैसा है, और वेणुगोपाल एक ऐसा समूह नियंत्रित करते हैं, जो केवल उन्हें जवाब देता है।

राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी इस समूह का हिस्सा हैं और रंधावा के माध्यम से वेणुगोपाल राजस्थान को नियंत्रित करते हैं।

रंधावा के अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और सीएलपी नेता टीकाराम जुली के साथ करीबी रिश्ते हैं।

जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी इस समूह द्वारा की गई है, जिससे राज्य नेताओं में काफी नाराजगी पैदा हुई है और राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की पूरी अवधारणा को नकार दिया गया है।

अशोक गहलोत पुनर्वासित होने के लिए इच्छुक हैं और वेणुगोपाल

- राजस्थान में प्रभारी रंधावा यह भूमिका निभा रहे हैं तथा वे अशोक गहलोत, डोटासरा व जुली को साथ लेकर राजस्थान में कांग्रेस संगठन चला रहे हैं।**

- गहलोत किसी तरह अपना पुनर्वास चाहते हैं तथा वेणुगोपाल अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए वेणुगोपाल तर्क दे रहे हैं कि गहलोत को दिल्ली भेजना इसलिए भी जरूरी है, जिससे नये नेताओं को काम करने का पूरा खुला मौका मिले और इस तर्क का मतलब यह भी नहीं कि नया नेता सचिन पायलट ही होंगे। आजकल रंधावा डोटासरा पर ज्यादा मेहरबान हैं।**

- यह व्यंग्य भी सुनाई दे रहा है कि जिस तरह वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को सम्मोहित कर रखा है, शायद केरल की जनता को भी सम्मोहित कर लें और कांग्रेस केरल में जीत कर सरकार बना ले।**

ओवरटाइम काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में लाया जा सके, भले ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ खुली बगावत की थी।

वेणुगोपाल द्वारा प्रचारित की जा रही लाइन यह है कि गहलोत को दिल्ली लाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान में एक नए नेता के लिए जगह बन सके।

स्रोतों का कहना है कि नया नेता सचिन पायलट नहीं हो सकता, क्योंकि वेणुगोपाल डोटासरा को बढ़ावा दे

रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वेणुगोपाल, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कमजोर हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं और उनका प्रभाव पूरे भारत में है और केवल वे ही कांग्रेस के लिए केरल जीत सकते हैं।

इस समय चर्चाएं हैं कि वाम मोर्चा सत्ता में लौटने की तैयारी में है, लेकिन जैसे के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी जादूगरी से राहुल का विश्वास हासिल किया, वैसे ही वह केरल में भी जादू कर सकते हैं।

प्र.मंत्री मोदी ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित

मस्कट, 18 दिसम्बर। ओमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने गुरुवार को मस्कट में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा।

मोदी दो दिन की यात्रा पर ओमान

- यह ओमान का सर्वोच्च सम्मान है और सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट में मोदी को इस सम्मान से नवाज़ा।**

गए हुए हैं। इससे पहले मोदी को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था।

मोदी और सुल्तान अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीडीपीए) पर हस्ताक्षर भी किए।

मनरेगा खत्म करने की साजिश का सख्त विरोध करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार का विकसित भारत जी राम जी बिल गरीब विरोधी है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा है कि "विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (संशोधन) विधेयक 2०25 गरीब विरोधी है और यह सरकार की मनरेगा को खत्म करने की रणनीति है, जिसका सख्त विरोध किया जाएगा।

वाड़ा ने लोकसभा में वीबी-जी-राम-जी (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होने के बाद, संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि "यह बिल गरीबों के खिलाफ है। वे और उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेंगी। इस विधेयक से आने वाले

विपक्ष के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पारित

यह बिल दो दशक पुराने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का स्थान लेगा

- विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा में बुधवार देर रात तक लगभग 9 घंटे चर्चा चली तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस का जवाब दिया।**

दिया गया। चौहान ने कहा कि विधेयक महिला, युवा, गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के साथ ही बापू के सपनों और उनके आदर्शों को ज़िंदा रखने में अहम भूमिका निभाएगा और यह कानून गरीबों की ज़िंदगी बदलकर आदर्श ग्राम स्थापित करेगा जिसमें लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मनरेगा कानून 2०05 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में बना था और उस सरकार का यह उसके प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को न्यूनतम 1०0 दिन सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी दी गयी। वीबी जी राम

जी विधेयक में 1०0 के स्थान पर न्यूनतम 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रस्ताव है। खेती-बाड़ी में श्रमिकों की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बुवाई-कटाई के मौसम में वर्ष में 60 दिन तक इस योजना के काम को स्थगित रखा जा सकता है। यह फैसला राज्य सरकारों के हाथ में होगा कि किस समय इसे स्थगित रखना है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना बनाया गया है और केंद्र तथा राज्य का अंशदान 6०:4० के अनुपात में होगा। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 9० प्रतिशत धन केंद्र देगा। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहां पूरा खर्च केंद्र उठाएगा।

मनरेगा खत्म करने की साजिश का सख्त विरोध करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार का विकसित भारत जी राम जी बिल गरीब विरोधी है

- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार अवधि 100 से 125 दिन करना एक चालाकी है, इस स्क्ीम से आने वाले दिनों में मनरेगा योजना खत्म हो जाएगी।**

महीनों में मनरेगा खत्म हो जाएगा। जैसे ही इसका बोझ राज्यों पर पड़ेगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने वाले इस विधेयक का उनका गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा। सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर सहमत हैं और एकजुट है।

वाड़ा ने इस विधेयक को मनरेगा खत्म करने की योजना बताया हुए कहा "1०0 दिन से 125 दिन की सजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। इस

बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी।

मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी उनके साथ थी। यह विधेयक गरीब-मजदूरों के खिलाफ है, हम इसका सख्त विरोध करेंगे।

इससे पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन परिसर

में इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएफके के टीआर बाबू, समाजवादी पार्टी के धर्मरत्न यादव, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन सहित, कई दलों के सांसद शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद खरगे ने कहा, "यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की योजनाबद्ध हत्या है। नये विधेयक के जरिए भाजपा सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो कांग्रेस ने दिया था। यह काम के अधिकार को छीनने की कोशिश है।

कोलकाता, 18 दिसंबर। ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई 34 महीने की एक बाधिन की दक्षिण कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। रॉयल बंगाल टाइगर की यह तीसरी मौत है, जिससे पश्चिम बंगाल में पशु प्रेमियों का चिंता बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि यह बाधिन फरवरी 2०23 में ओडिशा के नंदनकानन में पैदा हुई थी और उसी साल आगस्त में कोलकाता लाई गई थी। बुधवार को अलीपुर चिड़ियाघर में अपने पिंजरे में वह मृत पाई गई। अलीपुर चिड़ियाघर की निदेशक तुषिता सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम किया गया है और युवा बाधिन की असमय मौत के कारण का पता लगाने के लिए विवरण जांच किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाधिन होमोप्रोटोडोन पैरासाइट से होने वाले संक्रमण से पीड़ित थी। उसे चिड़ियाघर के स्वास्थ्य सुविधा

में भूमिगत जल पर निर्भर है। "यह एक शहर-केन्द्रित दृष्टिकोण है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूमिगत जल पीते हैं, और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।"

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अगर याचिका उन क्षेत्रों पर केन्द्रित होती, जहां पीने के पानी की बुनियादी सुविधाएं नहीं नहीं हैं, तो वह मामला अलग तरीके से देख सकते थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "पानी की बोटल में यह सामग्री होनी चाहिए, वह सामग्री होनी चाहिए, ये सब लगभगी मुकद्दमे हैं।"

जब वकील ने इस मामले को लखनौ मुकदमा कहने पर असहमत होकर इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर जोर दिया, तो बेंच ने कहा कि वे याचिका मौजूदा वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर रही हैं।

सीजेआई ने कहा, "क्या आप सोचते हैं कि हम, यूएसए, ईयू या जापान के दिशा निर्देश लागू कर सकते हैं? चलिए, देश की वास्तविकताओं को देखते हैं। कोई भी गरीबों का मुद्दा नहीं उठाता, यह अमीरों और शहरीकरण का डर है।"

हालांकि, याचिका में कहा गया है कि तुलना के विरुद्ध संगठन के मानकों की तुलना में भारतीय मानकों की स्वीकार्य सीमाएं पुरानी हैं, पर कोर्ट ने इस पर जाँच से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उचित प्राधिकृत प्राधिकरण से संपर्क

- जू में सितम्बर में भी दो बाघों की मौत हो चुकी है। मृत बाधिन ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई थी।**

केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। यह पैरासाइट टिक्स या काटने वाली मक्खियों से फैलता है, जिससे बुखार, एनीमिया और पीलिया होता है। ये पैरासाइट पालतू जानवरों को भी प्रभावित करता है। वास्तव जांच से मौत के सही कारण का पता चलेगा। जाने-माने भारतीय वन्यजीव संरक्षक, फोटोग्राफर और पर्यावरणविद् विस्वजीत रॉय चौधरी ने युवा बाधिन की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे संदेह है कि चिड़ियाघर के अंदर कुछ पैरासाइट हाल की मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।"

- जू में सितम्बर में भी दो बाघों की मौत हो चुकी है। मृत बाधिन ओडिशा के नंदनकानन से लाई गई थी।**

केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। यह पैरासाइट टिक्स या काटने वाली मक्खियों से फैलता है, जिससे बुखार, एनीमिया और पीलिया होता है। ये पैरासाइट पालतू जानवरों को भी प्रभावित करता है। वास्तव जांच से मौत के सही कारण का पता चलेगा। जाने-माने भारतीय वन्यजीव संरक्षक, फोटोग्राफर और पर्यावरणविद् विस्वजीत रॉय चौधरी ने युवा बाधिन की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे संदेह है कि चिड़ियाघर के अंदर कुछ पैरासाइट हाल की मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।"

रीट पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत के छह माह में अभियोजन साक्ष्य पुरा नहीं करने पर उसे नए सिरे से जमानत अजी पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से समयबद्ध निर्देश प्राप्त होने के बाद भी, निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। ऐसे में मूल मामले के साथ ही इस इंडी केस में भी सुनवाई आरंभ नहीं हुई है। मूल मामले में याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा है और इंडी केस में एक साल से जेल में बंद है।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में 3० गवाहों के साथ ही हजारों दस्तावेज पेश हुए हैं, जिनका परीक्षण इंडी कोर्ट को करना है। गवाहों में अधिकतम सरकारी कर्मचारी हैं और उनके प्रभावित होने की आशंका नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उचित प्राधिकृत प्राधिकरण से संपर्क

